PRESS RELEASE

April 07, 2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, इंचार्ज कम्युनिकेशंस, एआईसीसी ने आज प्रेस में निम्न कथन जारी किएः–

''मोदी सरकार'' मात्र कुछ पूंजिपतियों को संतुष्ट करने के लिए भारत की 'जंगल, जमीन और जलवायु' पर कुठाराघात करती जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को याद रखना चाहिए, कि 'पर्यावरण की सुरक्षा' 'दादी–नानी की कहानियों' से नहीं की जा सकती है, बल्कि इसे दादी और नानी की पीढ़ियों और युवा भारतीयों की पूरी पीढ़ी के लिए संरक्षित, विकसित और सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि पर्यावरण से संबंधित विषयों का डीएनए 'डिस्ट्रक्ट, नीगेट और एब्डिकेट' की भ्रामक व्याख्या पर खड़ा नहीं किया जा सकता है।

गरीब और सीमांत किसानों की भूमि जब्त करने के लक्ष्य के साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम को थोपने के बाद बीजेपी सरकार ने अब जलवायु की सुरक्षा, सस्टेनेबल विकास और जनजातीय अधिकारों और समान सामाजिक विकास की प्रणाली को खंडित करने का निंदनीय कार्य प्रारंभ कर दिया है।

भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय 'पर्यावरण और वन मंत्रियों की कॉन्फरेंस' (6 और 7 अप्रैल 2015) का मुख्य एजेंडा टीएसआर सुब्रमण्यन रिपोर्ट पर राज्यों का अनुमोदन हासिल करना है। (www.envfor.nic.in/sites/default/files/press-releases/Final_Report_of_HLC.pdf) यह रिपोर्ट निम्न नियमों के आधार पर चोट करती है, जिन्हें दशकों तक सावधानीपूर्वक चर्चा के बाद विकसित किया गया है, और जो सामाजिक आर्थिक, वैधानिक और कानूनी जांच पर खरे उतरे हैं।

- जलवायु सुरक्षा अधिनियम 1986
- वन संरक्षण अधिनियम 1983
- वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972
- जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1974
- वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम 1981 और
- भारतीय वन अधिनियम 1927

इतना ही नहीं, अंतिम अनुमोदन करते हुए यह रिपोर्ट दूसरे महत्वपूर्ण नियमों जैसे वन अधिनियम 2006, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों जैसे धारा 21, धारा 48–ए, धारा 51–ए (जी), राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी) और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भी खारिज करती है।

विभिन्न चुनावों जैसे लोकसभा 2014 और हाल ही में झारखंड असेंबली के चुनावों में करोड़ों आदिवासियों और मूलवासियों को यह भरोसा दिलाने के बाद कि कोई भी जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगा, श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की जमीन पर कब्जा करने और जंगल और जलवायु को नष्ट करने के एकल एजेंडे पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी मानती है, कि जमीन, जंगल और जलवायु करोड़ों युवा भारतीयों की कई पीढ़ियों, आदिवासियों और जंगल के वासियों की पहचान, आजीविका और जीवन हैं। वे कारोबार योग्य कमोडिटीज़ नहीं हैं, जो बीजेपी सरकार के कार्य और नीतियां उन्हें बना रही हैं।

ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो जनविरोधी बीजेपी सरकार के कार्यों के फलस्वरूप पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत के लोगों को निम्न आधारभूत सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर देना चाहिएः

'टीएसआर रिपोर्ट' वन अधिकार अधिनियम 2006 में वर्णित ग्राम सभा की मैंडेटरी सहमति को हटाए जाने का अनुमोदन करती है। ग्राम सभा की प्राथमिक सहमति को कानून और जंगल में रहने वाले आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों के 'जीवन और समानता के अधिकार' (संविधान की धारा 14 और 21 के अनुसार) के अनुसार हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मान्य किया गया है। (ओडिशा माईनिंग कॉर्पोरेशन बनाम एमओईएफ–2013 वॉल्यूम. 6 एससीसी 476)

क्या मोदी सरकार इस मौलिक, संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा को हटाना चाहती है, जो भारत में करोड़ों अनुसूचित जनजातियों और जंगल के वासियों को दी गई है? क्या ग्राम सभा की सहमति को हटाए जाने से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक लागू) अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 पूरी तरह से निरस्त या प्रभावहीन नहीं हो जाएंगे?

टीएसआर रिपोर्ट मात्र 70 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र के आधार पर किसी क्षेत्र को 'नो गो एरिया' के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव देती है। 70 प्रतिशत वनाच्छादित वन 'काफी घने जंगल' (वीडीएफ) कहे जाते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2013 के अनुसार वीडीएफ देश में कुल जंगल के क्षेत्र का मात्र 2.54 प्रतिशत ही हैं। वास्तव में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 40 प्रतिशत घनत्व वाले क्षेत्र को 'घने जंगल' के रूप में दर्ज करता है।

क्या इसका अर्थ है, कि मोदी सरकार जैव विविधता में संपन्न 40 से 70 प्रतिशत के बीच वनाच्छादन वाले सभी घने जंगलों के डाईवर्शन की अनुमति देगी, और मात्र कुछ अंतरंग पूंजिपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी जनसंख्या को जीविका देने वाले साधनों को नष्ट करेगी?

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में विशेष रूप से वर्णन हैः– 1. मनुष्य सस्टेनेबल विकास का केंद्र हैं। 2. विकास के अधिकार 3. जलवायु की सुरक्षा विकास का प्रमुख अंग है। 4. सावधानियों के उपाय 5. जनता के विश्वास का सिद्धांत और 6. विकेंद्रीकरण। 'टीएसआर रिपोर्ट' में एनईपी के अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है।

क्या मोदी सरकार की आर्थिक विकास की नीति राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में वर्णित 'सस्टेनेबल विकास के केंद्र में मनुष्यों, जनता के विश्वास के सिद्धांत और विकेंद्रीकरण' के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगी?

टीएसआर रिपोर्ट में प्रस्तावित है, कि सर्वोच्च न्यायालय को जलवायु के झगड़ों के निर्णय के लिए यथोचित न्यायिक फोरम बना दिया जाए। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के द्वारा 'नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल' (एनजीटी) में एक आवेदन करने के वर्तमान नियम को बदलना होगा। इसके द्वारा नेशनल ग्रीन ट्राईब्यूनल एक्ट 2010 में गठित एनजीटी की भूमिका 'मेरिट आंकलन' की जगह 'वैधानिक आंकलन' तक ही सीमित रह जाएगी।

क्या मोदी सरकार के द्वारा यह परिवर्तन जलवायु के प्रति न्याय को दशकों पीछे नहीं धकेल देगा क्योंकि एनजीटी का गठन सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ते हुए केसों के बैकलॉग की भारी संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के साथ किया गया था?

टीएसआर रिपोर्ट पर्यावरण के क्लियरेंस के लिए आवेदन करने वाले उद्योगपतियों के द्वारा अंडरटेकिंग को स्वीकृति प्रदान करने के लिए जलवायु के सभी नियमों को हटाना चाहती है।

क्या मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के द्वारा इसी तरह की अन्य अंडरटेकिंग की जांच कर ली है, जिनके द्वारा वापी, सूरत, महसाणा, मुंद्रा और अहमदाबाद में भूमि और समुद्र का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्या ऐच्छिक रूप से एक अंडरटेकिंग ही जलवायु की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है?

टीएसआर रिपोर्ट संवैधानिक प्रावधानों, सावधानीपूर्वक विचारे और जांचे गए नियमों, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं यूएन कन्वेंशनों, जिसका भारत एक सिग्नेटरी है, की उपेक्षा करती है।

क्या भारत देश कुछ अंतरंग पूंजिपतियों को संतुष्ट करने के लिए इन संवैधानिक प्रावधानों, नियमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं यूएन कन्वेंशनों को अनदेखा कर सकता है?

रणदीप सिंह सुरजेवाला